संख्या:1909/78-2-2016-146आई0टी0/2016

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक : 06 अक्टूबर 2016

विषयः प्रदेश में दसवीं पास, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाने की योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1826/78-2-2016-146आई0टी0/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे जन-सामान्य तक पहुँचाने तथा अधिक से अधिक शासकीय (G2C) और व्यावसायिक (B2C) सेवाओं को नागरिकों तक सरलता एवं सुगमता से पहुँचाने हेतु शासन द्वारा प्रदेश के दसवीं पास, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना का नामकरण **"समाजवादी स्मार्ट फोन योजना"** रखा गया है। कृपया तद्नुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

संख्याः-1909(1)/78-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी, लखनऊ।
6 राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।